

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला-सीकर

क्रमांक / कैम्प / 2021 / 758

दिनांक 8/12/2021

-:आदेश:-

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार दांतारामगढ़ के आधार पर गलत किष्कामकपुरी के
खाली स्थान पुन व शुद्ध पुनर्निर्माण के खाली स्थान 76 ह
खाली गुरद्वारा पुन बंद करने के आदेश पर मुन्डा राम पुन
बंद करने के आदेश के अनुसार किष्कामकपुरी के
खाली स्थान आदेश के अनुसार बंद करने

तहसीलदार दांतारामगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि आदेश के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल-
 दरामद कर पालना से न्यायालय को अवगत कराना सुनिश्चित करे !

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021
 उपखण्ड अधिकारी-दांतारामगढ़
 जिला-सीकर(राजस्थान)